[19/12/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 866]

परिशिष्ट -(1)

मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय

प्रश्न

(1)	प्रश्न क्रमांक	:	866 अतारांकित
(2)	उत्तर भेजने का अंतिम तिथि	:	10.12.2024
(3)	सदन में उत्तर देने की तिथि	:	19.12.2024
(4)	वर्ग	:	4
(5)	विभाग का नाम	:	लोक निर्माण

विषयः हस्तांतरित सड़कों को निर्मित कराया जाना।

अतारांकित प्रश्न क्रमांक 866) मान. श्री श्रीकांत चतुर्वेदी

क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेगें कि –

प्रश्न	उत्तर
(क) मैहर विधानसभा के अन्तर्गत मण्डी बोर्ड द्वारा निर्मित सड़कों को म.प्र. ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई–01 सतना को कार्यपालन यंत्री म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड तकनीकी संभाग–रीवा के पत्र क्रं./मण्डी बोर्ड/निर्माण/24–25/148 रीवा दिनांक 03/06/2024 द्वारा हस्तांतरित किया गया है ? यदि हां तो इन सड़कों का निर्माण कब तक कराया जावेगा ? समयावधि बतायी जावे।	जी नहीं। म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा उक्त 05 मार्गों का हस्तांतरण मण्डी बोर्ड द्वारा नहीं किया गया है। 1) बड़ारी से जोवा, 2) सुकवारी से बड़ारी 3) बड़ारी से जुड़वानी 4) ककरा इटहरा 5) लटागांव से इटहरा।
(ख) प्रश्नांश (क) में आयी सड़कों के संबंध में क्या यह सही है कि सड़कें पूर्णतः जर्जर हो गई है, जिनका नवीन रूप में निर्माण कार्य सुदृढ़ीकरण के तौर पर लोकहित मे अविलंब कराया जाना आवश्यक है ? यदि हां तो क्या इन सड़कों के स्वीकृत की कार्यवाही अविलंब पूर्ण कर कार्य प्रारंभ कराया जावेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?	मार्गो का हस्तांतरण नहीं होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

महाप्रबंधक,
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई 01, सतना

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
लोक निर्माण विभाग,
मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल